रजिस्ट्री सं डी (डी एन)-72 REGISTERED No. D. (D.N)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

PART II—Section 3—Sub-section (i)
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 530] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 13, 1986/कार्तिक 22, 1908
No. 530] NEW DELHI, THURSDAY, NOV. 13, 1986/KARTIKA 22, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 1986

अधिसूचना

सं. 449/86– केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि 1204(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 392/86-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 22 अगस्त, 1986 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के परन्तुक में "जो फुटकर विक्रय के लिए है और आधानों में रखी जाती है" शब्दों के स्थान पर "जो यूनिट आधानों में रखी जाती है और जो सामान्यतः विक्रय के लिए आशयित है" शब्द रखे जाएंगे ।

[एफ सं. 100/18/86-सी एक्स 3]
एस. सी. जाना, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 13th November, 1986

NOTIFICATION

No. 449|86-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 1204 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 392|86-Central Excises, dated the 22nd August, 1986, namely :—

In the proviso to the said notification, for the words "as are for sale in retail and are put up in containers", the words "as are put up in unit containers and ordinarily intended for sale" shall be substituted.

[F. No. 100|18|86-CX-3]

S. C. JANA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986